राजकीय महाविद्यालय केकड़ी

उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन

राजकीय महाविद्यालय केकड़ी मैं fnukd 22 uoEckj 2022 dk उपभोक्ता क्लब के तत्वाधान में एक दिवसीय उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ प्रताप पिनजानी द्वारा विद्यार्थियों को उद्बोधन प्रदान करते हुए कहा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहकर के कार्य करना चाहिए। कार्यशाला के सत्रों को इंटरएक्टिव बनाने के लिए आपने विद्यार्थियों को अभी प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट श्रीमान गजेंद्र पाराशर जी एडवोकेट, महेंद्र मेवाड़ा जी एवं एडवोकेट भारती पोपटानी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विषय पर विस्तार व्याख्यान प्रदान किया गया। श्रीमान गजेंद्र पाराशर जी द्वारा बताया गया कि किस तरह उपभोक्ता जिला स्तर पर राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों में अपील कर सकता है। इसी के साथ ही महेंद्र मेवाड़ा द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि किस प्रकार उपभोक्ता अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है इसी के साथ भारती द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं 2019 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताएं। कार्यक्रम का संचालन उपभोक्ता क्लब प्रभारी डॉ अनिता रायसिंघानी द्वारा किया गया।

Right to choose
Consumer Rights & Responsibilities
Consumer Protection Act
Whatsapp Number
72300-86030

Right to choose
Consumer Rights & Responsibilities
Consumer Protection Act
Whatsapp Number
72300-86030

राजकीय महाविद्यालय
केकड़ी
उपभोक्ता क्लब
GOVERNMENT PG COLLEGE, KEKRI
CONSUMER CLUB
Right to be informed
Right to consumer education
Right to be heard
Right to seek redressal
Right to choose
Right to safety

राजकीय महाविद्यालय
केकड़ी
उपभोक्ता क्लब
GOVERNMENT PG COLLEGE, KEKRI
CONSUMER CLUB
Right to be informed
Right to consumer education
Right to be heard
Right to seek redressal
Right to choose
Right to safety
Consumer Protection Act

राजकीय महाविद्यालय
केकड़ी
उपभोक्ता क्लब
GOVERNMENT PG COLLEGE, KEKRI
CONSUMER CLUB
Right to be informed
Right to consumer education
Right to be heard
Right to seek redressal
Right to choose
Right to safety

Mk iirki fiitkuh }kjk v/;{kh; mncks/ku nrr g;